

राजभाषा में कामकाज के लिये निर्धारित जाँच बिन्दु

क्रमांक	जाँच बिन्दु	उत्तरदायित्व
1	धारा 3(3) का अनुपालन अर्थात् सामान्य आदेश अथवा अन्य कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी प्रगति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले विभाग संस्थान प्रमुख
2	राजभाषा नियम क्रमांक 5 के तहत 'क' व 'ख' क्षेत्र से हिन्दी के अलावा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही देना।	पत्र प्राप्तकर्ता जारीकर्ता अधिकारी
3	कार्यालयीन कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के लिये अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा नियम 8(4) के तहत विर्णिदिष्ट करना।	संस्थान प्रमुख राजभाषा कार्यान्वयन समिति
4	राजभाषा नियम 11 के तहत फार्म, कोडो, मैनुअलों और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन।	प्रकाशन के लिये अनुमोदनकर्ता अधिकारी
5	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी या द्विभाषी में जारी करना।	हस्ताक्षरकर्ता अनुमोदन कर्ता अधिकारी संस्थान प्रमुख
6	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पता हिन्दी में लिखना।	पत्र हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
7	मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्डों, आमंत्रण पत्र आदि द्विभाषी रूप में बनाना।	संबंधित प्रभारी अधिकारी
8	सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में	संबंधित प्रभारी अधिकारी
9	राजभाषा नियम-12 के तहत राजभाषा नीति के अनुपालन का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही।	संस्थान/ कार्यालय/ प्रशासनिक प्रमुख